मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी (BAHS) 2024 जारी की। की। इसे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस (26 नवंबर) पर डॉ. वर्गीज कुरियन (भारत में श्वेत क्रांति के जनक) की की जयंती मनाने के लिए जारी किया गया। 2023-24 के लिए मुख्य निष्कर्ष □ कुल दूध उत्पादन: 239.30 मिलियन टन अनुमानित है और पिछले 10 वर्षों (2014-15) की तुलना में 5.62% की वृद्धि दर्ज दर्ज की गई है। o शीर्ष तीन दूध उत्पादक राज्य: उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। □ अंडा अंडा उत्पादन: अनुमानित 142.77 बिलियन संख्या और पिछले 10 वर्षों में 6.8% की वृद्धि दर्ज की गई। गई। सबसे बड़ा योगदान आंध्र प्रदेश का है, उसके बाद तमिलनाडु का है। o भारत विश्व स्तर पर दूध दूध उत्पादन में अग्रणी है जबकि अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। □ ऊन उत्पादन: इस दौरान 33.69 मिलियन किलोग्राम अनुमानित है और पिछले वर्ष की तुलना में 0.22% की मामूली वृद्धि दर्ज की की गई।

पशुपालन के बारे में

 पशुधन पालन और चयनात्मक प्रजनन को संदर्भित करता है, जिसमें लाभ के लिए पशुओं के आनुवंशिक गुणों और व्यवहार को और विकसित किया जाता है।

पशुपालन का महत्व

 पशुधन क्षेत्र ने 2021-22 के दौरान कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र GVA (स्थिर मूल्यों पर) में लगभग लगभग 30.19% का योगदान दिया है।

 8 करोड़ किसानों और भूमिहीन मजदूरों को आजीविका प्रदान करता है और दूध, मांस, अंडे आदि का उत्पादन करके खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है।

पशुपालन से संबंधित चुनौतियाँ

 बढ़ती बीमारियाँ जैसे ढेलेदार त्वचा रोग, खुरपका और मुँहपका रोग आदि; देशी नस्लों की कम उत्पादकता; अपर्याप्त टीकाकरण कवरेज, आदि। पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल पहल राष्ट्रीय गोकुल मिशन: स्वदेशी गोजातीय नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए 2014 में शुरू किया गया। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि: डेयरी प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण, मांस प्रसंस्करण आदि के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय पशुधन मिशन: छोटे जुगाली करने वाले वाले पशुओं, मुर्गी पालन और सूअर पालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार सृजन; नस्ल नस्ल सुधार आदि के माध्यम से प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि इसरो को शुक्र मिशन "शुक्रयान" के लिए के लिए सरकार की मंजूरी मिली अंतरिक्ष विभाग द्वारा मिशन शुक्रयान या वीनस ऑर्बिटर मिशन (वीओएम), शुक्र के वायुमंडल और सतह और सूर्य के साथ इसकी बातचीत का पता लगाएगा। वीओएम वीओएम के बारे में:

 प्रक्षेपण: इसरो इसे 2028 में प्रक्षेपित करने के लिए तैयार है।

 वीओएम के मुख्य उद्देश्य:

o शुक्र के वायुमंडल में धूल की जांच करना, इसकी सतह की स्थलाकृति का मानचित्रण करना, शुक्र के शुक्र के पास सौर एक्स-रे स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना और शुक्र के वायु-दीप्ति का विश्लेषण करना।

करना।
o इसरो के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के रूप में कार्य करना, कठोर वातावरण में एयरोब्रेकिंग और थर्मल थर्मल प्रबंधन तकनीकों का परीक्षण करना।

 एयरो-ब्रेकिंग एक ऐसी तकनीक है जो किसी ग्रह के वायुमंडल का उपयोग करके किसी अंतरिक्ष अंतरिक्ष यान को धीमा करती है और उसकी कक्षा को समायोजित करती है।

 मिशन के पेलोड:

o सोलह भारतीय पेलोड, दो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी पेलोड (विश्वास और रवि), और एक एक अंतर्राष्ट्रीय पेलोड (वायरल) की सिफारिश की गई है।

मिशन का महत्व:

 वैज्ञानिक अन्वेषण: सौर मंडल के विकास के साथ-साथ ग्रह के वायुमंडल की गतिशीलता को बेहतर बेहतर ढंग से समझना। □ जलवायु परिवर्तन को समझना: शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से CO2 से बना है, इसलिए इसकी संरचना का अध्ययन ग्रीनहाउस प्रभाव और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रकाश प्रकाश डाल सकता है। □ अन्य: वायुमंडलीय संरचना, पृथ्वी के विकास आदि को समझना। मिशन के के लिए चुनौतियाँ: □ चरम स्थितियाँ: अत्यधिक तापमान और दबाव अंतरिक्ष यान के घटकों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। □ संक्षारक वातावरण: शुक्र की सतह पर हावी सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बादल संभावित रूप से स्टील और टाइटेनियम से बने घटकों को खराब कर सकते हैं। □ अन्य चुनौतियाँ: कठिन भूभाग, सौर पैनलों के लिए सूर्य के प्रकाश की कमी, तकनीकी चुनौतियाँ आदि।

शुक्र ग्रह के लिए मिशन

 पिछले मिशन:

मेरिनर

2 (यूएसए,

1962),

मैगेलन (नासा), अकात्सुकी (जापान) आदि।

शुक्र ग्रह

वेरिटास (नासा), एनविज़न (ईएसए)

एक्सप्रेस (ईएसए),

 भविष्य के मिशन: शुक्र ग्रह जीवन खोजक मिशन (रॉकेट लैब और एमआईटी), डेविन्सी और

राष्ट्रपति ने भारत के 75वें संविधान दिवस पर संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला

संविधान दिवस, जिसे 'संविधान दिवस' के रूप में भी जाना जाता है, हमारे देश में हर साल 26 नवंबर भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। □ 26 नवंबर 1949 को, भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ।

o संविधान मौलिक सिद्धांतों का एक निकाय है जिसके अनुसार एक राज्य का गठन या शासन किया जाता है। यह लिखित (उदाहरण-भारत, यूएसए) और अलिखित (उदाहरण-ब्रिटेन) हो सकता है।

भारतीय संविधान का महत्व/भूमिका

 मौलिक अधिकारों की रक्षा: संविधान के भाग III में शामिल अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से से संबंधित हैं।

o उदाहरण के लिए न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता का निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) का हिस्सा है। □ सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना: जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 14), अल्पसंख्यक अधिकारों अधिकारों की सुरक्षा (अनुच्छेद 25 से 28) आदि। □ समाज की आकांक्षाओं को पूरा करना: पर्यावरण पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना

(अनुच्छेद 48ए), सभी बच्चों के लिए शिक्षा (अनुच्छेद 45) आदि। □ समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम न्यूनतम समन्वय की अनुमति देना: यह कानूनों, सिद्धांतों और संस्थाओं का एक ढांचा स्थापित करता है करता है जो सरकार की संरचना और कार्यों को परिभाषित करते हैं। □ धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करना: करना: अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं।

o एस.आर.बोम्मई मामले (1994) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का संरचना का एक हिस्सा है।

उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने 15 राज्यों में राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन (एनएलआरएम) परियोजना को मंजूरी दी। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एचएलसी ने विभिन्न राज्यों के लिए आपदा आपदा शमन परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) से वित्त पोषण को मंजूरी मंजूरी दी है। □ एचएलसी ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तैयारी और क्षमता निर्माण घटक के घटक के तहत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के निर्माण के लिए परियोजना को भी मंजूरी दी।

एनएलआरएम परियोजना की आवश्यकता

 भूकंप और सुनामी के विपरीत, भूस्खलन को रोकना और भविष्यवाणी करना संभव है।

 वैज्ञानिक जांच, विश्लेषण और प्रबंधन की संस्कृति को बढ़ावा देना।

एनडीएमएफ के बारे में

 2021 में, केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, अधिनियम, 2005 के तहत एनडीएमएफ का गठन किया था।

 इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा लागू किया जाएगा।

 यह विशेष रूप से आपदाओं के संबंध में शमन परियोजनाओं के उद्देश्य के लिए है।

भारत में भूस्खलन प्रबंधन

 भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्रों का मानचित्रण करने और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का उपयोग। □ सेंसर, सैटेलाइट डेटा और ड्रोन का उपयोग करके वास्तविक समय में भूस्खलन की निगरानी, ताकि पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की जा जा सके। □ भूस्खलन को रोकने के लिए संरचनात्मक उपायों (रिटेनिंग वॉल, ढलान स्थिरीकरण) और और गैर-संरचनात्मक उपायों (भूमि उपयोग विनियमन, वनों की कटाई को रोकना) का उपयोग। □ एनडीएमए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसी जैसी एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ाना। □ भारत में भूस्खलन के बारे में □ गुरुत्वाकर्षण बल के

कारण ढलान से नीचे चट्टान, मलबे या धरती का खिसकना। उदाहरण: केरल (वायनाड) आदि। □ भारत सबसे अधिक भूस्खलन जोखिम वाले शीर्ष चार देशों में से एक है (इसरो भूस्खलन एटलस ऑफ ऑफ इंडिया)। □ कारक: प्राकृतिक (तीव्र वर्षा, भूकंपीय गतिविधियाँ आदि); मानवजनित (वनों की कटाई, अनियोजित निर्माण, आदि)। □ भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण योजना में साइट विशेष भूस्खलन भूस्खलन न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा भूस्खलन और हिमस्खलन के प्रबंधन पर दिशा-निर्देश जारी किए निर्देश जारी किए गए हैं।

भूस्खलन के प्रबंधन के लिए उठाए गए अन्य उपाय

2014-15 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता संवेदनशीलता मानचित्रण कार्यक्रम।

भारत ने रियाद डिजाइन कानून संधि (डीएलटी) के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस संधि पर हस्ताक्षर करके, भारत समावेशी विकास को बढ़ावा देने और अपनी बौद्धिक संपदा (आईपी) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के सदस्य देशों देशों ने ऐतिहासिक डीएलटी को अपनाया है।

डिजाइन आईपी की एक श्रेणी है जिसमें किसी उत्पाद का सजावटी पहलू शामिल होता है। डीएलटी के के मुख्य प्रावधान

 आवेदकों को कुछ शर्तों के तहत एक ही आवेदन में कई डिजाइन शामिल करने की अनुमति देता है।

है।
 फाइलिंग तिथि देने के लिए आवश्यकताएँ निर्धारित करें क्योंकि फाइलिंग तिथि को स्थगित करने से से अधिकारों का नुकसान हो सकता है।

 आवेदकों को फाइलिंग तिथि सुरक्षित करने के बाद कम से कम छह महीने तक डिजाइन को अप्रकाशित रखने की अनुमति देता है।

 डिजाइन के पहले प्रकटीकरण के बाद 12 महीने की छूट अवधि प्रदान करता है, जिसके दौरान ऐसा ऐसा प्रकटीकरण पंजीकरण के लिए इसकी वैधता को प्रभावित नहीं करेगा।

 डिजाइन के लिए ई-फाइलिंग सिस्टम और प्राथमिकता वाले दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान प्रदान की शुरुआत।

डीएलटी का महत्व

 स्टार्टअप्स और एसएमई को उनके डिजाइनों को वैश्विक स्तर पर संरक्षित करके, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास में सुधार करके सशक्त बनाता है।

 प्रक्रियाओं को अधिक पूर्वानुमानित, कम जटिल और अधिक किफायती बनाता है।

 डिजाइन संरक्षण को पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के साथ एकीकृत करता है,

है,
इस प्रकार उनकी सुरक्षा को बढ़ाता है।

 प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को मानकीकृत करके, DLT विभिन्न देशों में आवेदन प्रक्रिया को को सुव्यवस्थित करता है, प्रशासनिक बोझ को कम करता है, जिससे डिज़ाइन में वैश्विक रचनात्मकता रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है।

बौद्धिक संपदा के बारे में

 यह आविष्कार, औद्योगिक लेखों के लिए डिज़ाइन, साहित्यिक, कलात्मक कार्य, प्रतीकों जैसे दिमाग दिमाग के निर्माण को संदर्भित करता है, जिनका अंततः वाणिज्य में उपयोग किया जाता है।

 आईपी अधिकार रचनाकारों या मालिकों को उनके कार्यों से लाभ प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, जब इनका व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है।

 ये अधिकार वैधानिक अधिकार हैं, जो संबंधित विधानों के प्रावधानों के अनुसार शासित होते हैं।

 आईपी के अन्य प्रकार: पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, व्यापार रहस्य, भौगोलिक संकेतक।

 1967 में स्थापित, विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी जो वैश्विक स्तर पर आईपी अधिकारों को बढ़ावा देती है।

देती है।
 सदस्य: भारत सहित 193 देश।

डब्ल्यूआईपीओ (मुख्यालय: जिनेवा, स्विटजरलैंड) के बारे में

सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष' शब्द को शामिल करने को करने को बरकरार रखा

एससी का आदेश

यह 2020 में दायर याचिकाओं के एक समूह पर आधारित था, जिसमें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल करने की वैधता को चुनौती चुनौती दी गई थी। ☐ 42वें अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में 'अखंडता' शब्द भी डाला गया था।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां ☐ संविधान एक जीवंत दस्तावेज है: 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों शब्दों को जोड़ना केवल इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि प्रस्तावना ने अपनी मूल अपनाने की तिथि 26 नवंबर, 1949 को बरकरार रखा है।

o संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की अनुमति देता है और संशोधन करने की शक्ति निर्विवाद रूप से संसद के पास है, जिसकी संशोधन करने की शक्ति प्रस्तावना तक फैली हुई है। □ धर्मनिरपेक्षता: राज्य न तो किसी धर्म का समर्थन करता है और न ही किसी आस्था के पेशे और अभ्यास अभ्यास को दंडित करता है, साथ ही राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। o यह सिद्धांत अनुच्छेद 14, 15 15 और 16 के साथ-साथ अनुच्छेद 25,26, 29 और 30 में निहित है। समाजवाद: आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लक्ष्य को दर्शाता है और निजी उद्यमशीलता और व्यापार और व्यापार के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करता है, जो अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत एक मौलिक अधिकार है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ना: सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यह जोड़ा निर्वाचित सरकारों द्वारा द्वारा अपनाए गए कानूनों को प्रतिबंधित नहीं करता है, बशर्ते कि ऐसी कार्रवाइयां संवैधानिक अधिकारों अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन न करें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उद्धृत महत्वपूर्ण निर्णय:

निर्णय:
 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ:

धर्मनिरपेक्षता संविधान की एक बुनियादी विशेषता है।

 आर सी पौड्याल बनाम भारत संघ: धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के लोगों के साथ समान और बिना किसी किसी भेदभाव के व्यवहार करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है।

 प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ: पीठ: संविधान सरकार को आर्थिक शासन के लिए एक संरचना अपनाने की अनुमति देता है जो उन नीतियों के अधीन होगी जिनके लिए वह मतदाताओं के प्रति जवाबदेह है।